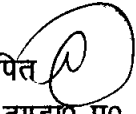


10. 12. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्तगण 1. हरदेव झा 2. मनोज झा 3. सरोज झा एवं 4. बबन झा की ओर से नवीन अधिकार पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसकी प्रति जमानत आवेदन के साथ संलग्न है।

वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायलय में दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण का बंधपत्र दिनांक 19.02.16 को खंडित किया गया है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किये हैं। प्रार्थीगण अपने सक्षम जमानदारों द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से अनुपस्थित है। *उक्त दस्तावेजों में परिवर्तन है*
जहाँ ले पेटरी नहीं कर रहे हैं।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण का बंधपत्र दिनांक 19.02.16 को खंडित किया गया है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किये हैं। प्रार्थीगण पूर्व से जमानत का लाभ ले रहे थे। अभियुक्तगण को इस शर्त के साथ प्रत्येक के द्वारा 300/- रु0 जमानत खर्च राशि सरकारी मद में जमा करने के साथ वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथियों पर सदेह उपस्थित रहेंगे। अतएव इनके सक्षम जमानतदारों द्वारा 5000 X2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित 
न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी, पुपरी

10. 12. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्तगणों के जमानतदारों द्वारा सत्यापित बंधपत्र एवं सरकारी मद में जमा किये गये 1200/- रु0 का रसीद दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित 
न्या0 दण्डा0 प्र0 श्रेणी, पुपरी